को पेश हो।

5/8/2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी कोर्ट उप० नहीं। प्रार्थी का दावा आदम हाजरी आदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है अब इस प्रार्थना-पत्र का औचित्य नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 212 RTA की तहत पर खारिज किया जाता है।

पी० एल० कुमार मीणा

खारिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:11:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner